रजिस्ट्री सं० डी० एल० 1 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 1972/श्रावण 31, 1894
No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 1972/SRAVANA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 22nd August 1972

G.S.R. 388(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 13/71-Central Excises, dated the 25th February, 1971, namely:—

In the said notification, in condition (i) the words ", Surcharge and any other charge of like nature" shall be omitted.

[No. 192/72-C.E./F. No. 297/19/72-CX-9]

R. K. THAWANI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1972

सा०का०नि० 388(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 13/71—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन एतद्द्वारा करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (i) में "अधिभार और उसी प्रकार का अन्य प्रभार" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[सं० 192/फा० सं० 297/19/72—उ० शु० 9]

रतन के० श्वानी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972